राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर।

कमांकः F3( )रा.पो.सप्ताह/ICDS/2010/ SP-1 जयपुर दिनांक 26/8/16

जिला कलक्टर,
समस्त।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।

विषय :– पोषाहार सप्ताह दिनांक 1 से 7 सितम्बर, 2016 मनाने बाबत्।

संदर्भ :– संयुक्त सचिव,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित अ.शा. पत्रांक ND-IE-17/3/2016-ND-IE दिनांक 11.08.2016

राजस्थान में पोषाहार सप्ताह दिनांक 1 से 7 सितम्बर, 2016 तक मनाया जाना है। जिसकी विषय वस्तु (Theme) "बेहतर पोषण के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण" (Life cycle approach for better Nutrition) होगी।

गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों में कुपोषण की रोकथाम एवं पोषक आहार के महत्व का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे– रेसीपी प्रतियोगिता, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा पर प्रश्नोत्तरी, स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता आदि का आयोजन खाद्य एवं पोषण बोर्ड, यूनिसेफ, गृह विज्ञान महाविद्यालय, स्वयं सेवी संस्थाओं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से जिला, परियोजना, सैक्टर एवं आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर किया जा सकता है।

पोषाहार सप्ताह की पूर्व तैयारी – दिनांक 27 से 31 अगस्त, 2016 तक

- वजन तौलने की मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना:- जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वजन मशीन खराब है अथवा उपलब्ध नहीं हैं, वहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी व ए.एन.एम से समन्वय कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गाईड लाईन्स के अनुसार वी.एच.एन.सी. के मद से वजन मशीन क्रय उपलब्ध करायें। इस सम्बन्ध में सभी कलक्टर्स को पूर्व में भी पत्र लिखा जा चुका है।
- पोषण सप्ताह के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, लाभार्थी एवं जन प्रतिनिधियों को देवें।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पोषाहार लाभार्थियों की सूची अद्यतन् (Updation) करने एवं श्रेणीवार/वर्गवार सूची बनाकर आंगनबाड़ी केन्द्र पर चस्पा करना सुनिश्चित करावें।

पोषाहार सप्ताह को आंगनबाड़ी केन्द्रों/ग्राम पंचायत पर निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार मनाया जावें :–

दिनांक/वार	लक्षित लाभार्थी समूह	कार्य योजना
1 सितम्बर, 2016 (गुरूवार)	गर्भवती/धात्री एवं 0 से 3 वर्ष के बच्चों की माताएं	• आँगनबाडी केन्द्र पर सभी चिन्हित गर्भवती/धात्री, एवं 0 से 3 वर्ष के बच्चों की माताओं को प्रातः 10.00 बजे आमंत्रित कर पोषाहार वितरण करना है। • समूह में बैठाकर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी जानकारी, जैसेकि गर्भावस्था के दौरान वजन में वृद्धि, टी.टी का टीका., आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, आयोडीन युक्त नमक का उचित

		प्रयोग, 6 माह तक केवल स्तनपान आदि की जानकारी देना। • पौष्टिक व्यंजनों एवं रेसीपी का प्रदर्शन।
2 सितम्बर, 2016 (शुक्रवार)	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आमुखीकरण किशोरी बालिकांए (विद्यालय नहीं जाने वाली सभी बालिकाऐं)	• सैक्टर बैठक में महिला पर्यवेक्षक के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पोषाहार सप्ताह के आगामी कार्यकम की दिवसवार गतिविधियों की जानकारी देना। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी जानकारी भी दी जावेगी। • आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रातः 10.00 बजे बुलाकर स्वास्थ्य पोषण, स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना। • प्रत्येक लाभार्थी बालिका को आयरन फॉलिक एसिड देवे, प्रत्येक किशोरी बालिका के अनुपालना कार्ड में इसे दर्ज कर दें।
3 सितम्बर, 2016 (शनिवार)	आयुवर्ग 0 माह से 3 वर्ष के बच्चे	• आयुवर्ग 0 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं उनके अभिभावकों को प्रातः 10.00 बजे आंगनबाड़ी केन्द्र पर बुलाएं। • बच्चो का वजन लेना और ग्रोथ चार्ट में अंकित करना। बच्चे के Colour Coding (विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्रोथ चार्ट के अनुसार) के आधार पर बच्चों की सूची बनाना। • कम वजन वाले/अति कम वजन वाले बच्चों की माताओं, अभिभावकों को परामर्श देना, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पोषाहार एवं संदर्भ सेवाएं प्रदान करना। • बीमार और सैम (Severly acute malnourished) बच्चों की पहचान कर सूची बनाना और कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC) के लिए रेफर करना।
5 सितम्बर, 2016 (सोमवार)	आंगनबाड़ी केन्द्र के लाभार्थी समुदाय पंचायतीराज संस्थाएं	• ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दोपहर 12.00 बजे पोषण चौपाल का आयोजन करना, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां अपेक्षित है :– 1 ग्राम पंचायत की बैठक में लाभार्थियों की सूची, उनके पोषण स्तर सम्बन्धी जानकारी देना एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली पूरक पोषाहार सम्बन्धी सेवाओं की जानकारी प्रदान करना। 2 स्थानीय पोषण सम्बन्धी समस्या, खान–पान सम्बन्धी आदतें, पोषण व्यजंन एवं पोषण तत्वों, कम लागत की स्थानीय उपलब्ध पौष्टिक आहार सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना, पूरक पोषाहार के लाभार्थियों की सूची, पूरक पोषाहार स्टॉक रजिस्टर, रिकॉर्ड इत्यादि को समुदाय के सामने पढकर सुनाना एवं सत्यापन कराना। 3 पी.आर.आई. द्वारा पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुधारने हेतु सहयोग, वृद्धि निगरानी, सुरक्षित पेय जल एवं बच्चों हेतु उपयुक्त शौच की व्यवस्था एवं अन्य किसी भी विषय मे चर्चा करना।